न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 58/23 निर्णय दिनांकः– 18-11-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/267)

1. ओमप्रकाश पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति मेघवाल निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 18–07–2023

उपस्थितः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 18–07–2023 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील लूणकरनसर के चक 298–800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 में निहित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी जोत चक 298–800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12/2, 19 ता 22 तादादी 1.0875 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 210–52 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 तादादी 0.9610 हेक्टर, 0.0506 हेक्टर खाला कमाण्ड कुल तादादी 2.0991 हेक्टर भूमि निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट् के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में से 02–02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 298–800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में से 02–02 बिस्वा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी जोत जोकि संयुक्त खाते की भूमि रही है, के विभाजन के समय नियमानुसार रास्ता प्रदान किया गया था। प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 06–10–2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी पर ही अप्रार्थी/अपीलांट् को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गये व उक्त जारीशुदा रजिस्टर्ड नोटिस की एडी भी अप्राप्त होने के बावजूद भी अपीलांट् के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया हैं

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर संयुक्त खाते विभाजन में प्राप्त भूमि पर पूर्व से ही मुरब्बा नम्बर 210/53 के किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 की पश्चिमी सींव पर चालू रास्ता प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार किया जाना अपरिहार्य है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अपीलांट् की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर तैयार की गई है, जोकि स्पष्ट रूप से नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तहसील लूणकरनसर के चक 298—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 12/2, 19 ता 22 तादादी 1.0875 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 210—52 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 तादादी 0.9610 हेक्टर, 0.0506 हेक्टर खाला कमाण्ड कुल तादादी 2.0991 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 298—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में से 02—02 बिस्वा रास्ते की मांग की गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस तथ्य का लाभ अपील स्तर पर प्राप्त नहीं हो सकता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का अन्य कथन कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट संबंधित भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की गई है, परन्तु इस संबंध में पक्षकारों की उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि जब अपीलांट् बावजूद सूचना न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं आये तो ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें तलब किये जाने की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर रास्ता कायम करने का प्रश्न है, चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत चक 298—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 12/2, 19 ता 22 तादादी 1.0875 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 210—52 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 तादादी 0.9610 हेक्टर, 0.0506 हेक्टर खाला कमाण्ड कुल तादादी 2.0991 हेक्टर भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 298—800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में से 02—02 बिस्वा उत्तर दिशा पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 27–12–2022 जोकि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आज दिनांक 27–12–2020 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय छत्तरगढ़ के आदेश के अनुसरण में चक 298–800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के मौके की स्थिति देखी तथा उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया है कि किला नम्बर 23, 24 व 25 में से प्रार्थी को अपने खेत में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण व रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में 02–02 बिस्वा उत्तर दिशा की सींव पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में स्वयं मौक निरीक्षण व रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर चक चक 298–800 आरडी के मुरब्बा नम्बर 210/61 के किला नम्बर 23 ता 25 में से 02–02 बिस्वा उत्तर दिशा की सींव पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 18–07–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर